— 1

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी थानागाजी अलवर राज0

राजस्व प्र0 सं0 –01 / 84 / 2018 दर्ज तिथि– 7 / 05 / 2018 निर्णय तिथि– 15.12.2021

अनुवान–1. रमेश चन्द पुत्र महोदव उम्र 56 साल जाति छीपी निवासी हमीरपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
2. मोहन पुत्र महादेव उम्र 66 साल जाति छीपी निवासी हमीरपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 – प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भू–स्वामी तहसीलदार तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 –अप्रार्थी

पीठासीन अधिकारी– डॉ नवनीत कुमार 1 (आर0ए0एस0)
वादीगण अधिवक्ता – श्री के0के0 शर्मा ।
अप्रार्थी – पैरोकार सरकार
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 (पत्थरगढ़ी किये जाने बाबत) भू0–राजस्व अधिनियम

–: निर्णय :– तारीख 15. 12. .2021

आज यह पत्रावली राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान प्रशासन गावों कें संग–2021 शिविर स्थल भारत निर्माण राजीव गॉधी सेवा केन्द्र समरा तहसील थानागाजी पर वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का विवरण संक्षेप में निम्न प्रकार से है–

01. यह है कि आराजी खसरा नम्बर 1492 रकबा 0.05 है0,1493 रकबा 0.12 है0,1494 रकबा 0.20 है0 , 1495 रकबा 0.11 है0, 1639 रकबा 0.25 है0,1641 रकबा 0.23 है0, वाके ग्राम हमीरपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 में स्थित है। जिसके प्रार्थीगण काबिज काश्तकार खातेदार दर्ज चले आते है।
02. यह है कि उपरोक्त वर्णित आराजी के प्रार्थीगण काबिज काश्तकार है । प्रार्थीगण की माताजी नारायणी देवी का स्वर्गवास हो चूका है ,जिसके प्रार्थीगण की जायज वारिसान है।
03. यह है कि उपरोक्त आराजीयात् की सीमा जानने के लिए तहसीलदार ,थानागाजी के यहॉ एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया । जिसकी नियमानुसार फीस जमा करवाई गई। जिसकी पालना में पटवारी हल्का दिनां 16.06.2016 को तहसीलदार ,थानागाजी के कार्या0 पत्रांक/भू0अ0/2016/1918 दिनांक 30.05.2016 क आदेश की पालना में राजस्व ग्राम हमीरपुर के आराजी खसरा नम्बर 1492 रकबा 0.05 है0 , 1493 रकबा 0.12 है0 , 1494 रकबा 0.20 है0 , 1495 रकबा 0.11 है0, 1639 रकबा 0.25 है0 , 1641 रकबा 0.23 है0 के मौके पर पहुँचा। उपरोक्त नम्बरों की पैमाईश कर सीमाज्ञान प्रार्थीगण को कराया गया। जिस सीमाज्ञान से प्रार्थीगण संतुष्ठ हो गये।
04. यह है कि उपरोक्त नम्बरों बावत भविष्य में पड़ोसी काश्तकारों में कोई तनाजा पैदा ना हो, इसलिए प्रार्थी अपनी आराजीयात् के चारों कोनों में पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। जिस हेतु प्रार्थना पत्रद पेश किया गया है।
05. यह है कि उपरोक्त खसरा नम्बर अदालत श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित है ,जो श्रीमान के श्रवण योग्य है।

अन्त : में प्राथर्ना पत्र पेश कर आराजी खसरा नम्बरान 1492 रकबा 0.05 है0,1493 रकबा 0.12 है0,1494 रकबा 0.20 है0 , 1495 रकबा 0.11 है0, 1639 रकबा 0.25 है0,1641 रकबा 0.23 है0, वाके ग्राम हमीरपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर की पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया गया । साथ में शपत पत्र भी पेश किया गया ।

प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता एक पक्षीय सुना गया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाकर ,प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब किया गया।

Scanned by CamScanner

पत्रावली राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान प्रशासन गावों के संग–2021 शिविर स्थल भारत निर्माण राजीव गॉधी सेवा केन्द्र समरा तहसील थानागाजी पर वास्ते सुनवाई हेतु पेश हुई। शिविर स्थल पर प्रकरण में अप्रार्थी राज0सरकार जरिये भू–स्वामी तहसीलदार ,थानागाजी से प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पत्थरगढ़ी करवाये जाने बाबत पर रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक रिपोर्ट नायब तहसीलदार, प्रतापगढ़ द्वारा कि उक्त प्रकरण में वर्णित आराजी में मौका पर्चा पटवारी हल्का द्वारा किया गया सीमाज्ञान दिनांक 16.06.2016 के अनुसार यदि पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते है तो कोई आपत्ति नही है तथा प्रकरण में कोई राज्यहित प्रभावित नही हो रहा है, अवगत कराया गया है।

शिविर स्थल पर प्रकरण में सलंग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया कि जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के खाता संख्या 235 में वर्णित खसरा नम्बरान 1492 रकबा 0.05 है0,1493 रकबा 0.12 है0,1494 रकबा 0.20 है0 , 1495 रकबा 0.11 है0, 1639 रकबा 0.25 है0,1641 रकबा 0.23 है0, वाके ग्राम हमीरपुर तहसील थानागाजी में प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी वर्णित से किसी अन्य दीगर का कोई संबंध व सरोकार नही है। तथा प्रमाणित प्रति मौका पर्चा दिनांक 16.06.2016 पटवारी हल्का के अनुसार मौत विरान व्यक्तियों के समक्ष आराजी खसरा नम्बर 1442 , 1450 /2627 तथा 1545/2641 गैर मुमकिन चाह को मुख्य बिन्दु मानकर जरीब चलाकर आ0ख0न0 1492 रकबा 0.05 है0,1493 रकबा 0.12 है0,1494 रकबा 0.20 है0 , 1495 रकबा 0.11 है0, 1639 रकबा 0.25 है0,1641 रकबा 0.23 है0, की चारों सीमाओं की पैमाईश कर सीमाज्ञान प्रार्थीगण की उपस्थित किया गया , अवगत कराया गया है।

प्रकरण में सलंग्न दस्तावेजात् व नायब तहसीलदार ,प्रतापगढ़ की अभिशंषा रिपोर्ट तथा मौका पर्चा दिनांक 16.06.2016 पटवारी हल्का सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पत्थरगढ़ी करवाये जाने बाबत काबिल स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी करवाये जाने बाबत् अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम के तहत् स्वीकार किया जाता है कि जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के खाता संख्या 235 में वर्णित खसरा नम्बरान 1492 रकबा 0.05 है0,1493 रकबा 0.12 है0,1494 रकबा 0.20 है0 , 1495 रकबा 0.11 है0, 1639 रकबा 0.25 है0,1641 रकबा 0.23 है0, वाके ग्राम हमीरपुर तहसील थानागाजी की आराजी के अनुसार पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश संबंधित तहसीलदार को दिये जाकर निर्देशित किया जाता हैं कि प्रार्थीगण की उपस्थिति में उक्त वर्णित आराजी की नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट से न्यायालय को अवगत करावे। खर्चा अपना वहन करेगें। आदेश जारी हो।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 15.12.2021 को लिखवाया जाकर राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान प्रशासन गावों के संग–2021 शिविर स्थल भारत निर्माण राजीव गॉधी सेवा केन्द्र समरा तह0 थानागाजी पर मजमेंआम सुनाया गया।

डॉ नवनीत कुमार 1(आरएएस)
कैम्प प्रभारी एंव उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी ,अलवर

अभियान–2021
कैम्प कोर्ट...

Scanned by CamScanner